>

Title: Need to permit farmers to lay water pipelines beneath the railway lines in Himmatnagar Tehsil in Sabarkantha parliamentary constituency in Gujarat.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) के हिम्मतनगर तहसील के सूरजपुर गांव के किसानों ने अपनी जमीन उदयपुर-हिम्मतनगर (उ.प. रेलवे) रेल लाईन के लिए दी थी । रेल लाईन बीच में से गुजरने की वजह से किसानों के खेत दो भागों में बंट गए हैं । अब सिंचाई हेतु 4 इंच व्यास की पाइप लाईन रेल लाईन के नीचे से ले जाने के लिए रेल विभाग की अनुमति जरूरी होती है । किसानों द्वारा अनुमति मांगने पर रेलवे विभाग ने किसानों को एक भारी रकम का एस्टीमेट दे दिया जो कि गरीब किसानों के लिए बहुत ज्यादा है । इस अनुमति के बाद भी निर्माण का खर्च तो किसानों को ही अलग से करना पड़ता है । इसमें स्थानीय किसानों श्री धुलाभाई पटेल को क्रमशः 2,20,526 रू. अमृतभाई पटेल को 2,84,033 रू. तथा श्री भीखा भाई पटेल को 1,40,019 रू. का एस्टीमेट रेलवे द्वारा दिया गया है । जब कि उस खेत की कीमत भी 3 लाख रूपये नहीं है । जिन किसानों ने राष्ट्रहित में अपनी जमीन दे दी, उन्हीं से रेलवे द्वारा ऐसा अनुचित व्यवहार किया जा रहा है । ऐसे में सरकार से मेरी मांग है कि गरीब किसानों को परेशान न किया जाए तथा किसानों को मुफ्त सिंचाई की अनुमति देने का प्रावधान किया जाए।